2022/65

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 79/2020 वाद GCMS No. 2022/65

1. श्री उंकार पिता नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
2. श्री नारायण पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
3. श्री भुरा पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
4. श्री मोहन पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
5. श्री लालिया पुत्र मानिया वागरिया, उम्र वयस्क,

सर्वनिवासीयान– खोखराफला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्री विक्रम सिंह पिता नाहर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी नोहरा, देबारी, उदयपुर (राज.)
2. श्री कमलेन्द्र सिंह पिता नाहर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी नोहरा, देबारी, उदयपुर, (राज.)
3. श्री दुदु सिंह पिता उम्मेद सिंह, उम्र वयस्क, निवासी मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री केसु उर्फ खुमा पिता अमरा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, (राज.)
5. श्री करण पिता केसु उर्फ खुमा उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री दुदा पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री अर्जुन पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, (राज.)
8. श्री गेरू पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री लिलिया पिता खुमा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री धन्ना पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती प्रतापी पत्नी श्री पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री सुरेश पिता लखा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती हंसली पत्नी लखा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री संजय सैन अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

2022/65

निर्णय

दिनांकः 24.03.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम देबारी पटवार हल्का देबारी की आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 किता 3 रकबा 0.1300 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के स्वामित्व, खातेदारी एवं आधिपत्य की है। उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सबंध सरोकार नहीं हैं, फिर भी प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर वादीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि जबरन हड़प कर लेना चाहते है जिसके चलते प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.01.2022 को वादीगण की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर वादीगण की पूर्व में बनी हुई बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर दी एवं मौके पर जे.सी.बी. से नीवें खोद दी व वादग्रस्त आराजीयात पर पत्थर, रेती इत्यादि डाल जबरन निर्माण कर वादीगण के संयुक्त स्वामित्व की भूमि को हड़प कर लेना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन वादीगण को परेशान कर कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर लड़ाई झगड़ा करते है। जिसकी रिपोर्ट वादीगण द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के समक्ष दिनांक 31.01.2022 को प्रस्तुत की गई, फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, हस्तक्षेप नहीं करें, प्रवेश नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें, उक्त कार्य प्रतिवादीगण स्वयं नहीं करें, ना ही अपने नौकर, रिश्तेदारों इत्यादि से ही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का वकालतनामा अधिवक्ता बजरंग प्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब अवसर बन्द किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा मौखिक साक्ष्य में उंकार पुत्र नवला वागरिया तथा लालिया पुत्र मानिया वागरिया के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों में पद्रर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2074–77, प्रदर्श–3 जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र, प्रदर्श–4 कम्प्युटर से नक्शा, प्रदर्श–5 राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा प्रेषित नोटिस, प्रदर्श–6 राष्ट्रीय राजमार्ग

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

को प्रेषित जवाब, प्रदर्श–7 पोस्टल रसीद, प्रदर्श–8 यूआईटी द्वारा जारी लेआउट प्लॉन, प्रदर्श–9 से 13 मौके के फोटोग्राफ्स, प्रदर्श–14 सीडी प्रदर्शित कराये गए। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर विद्ववान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों को विस्तृत अध्ययन कर मनन किया गया। पत्रावली के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित राजस्व जमाबंन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम पटवार मण्डल देबारी के खाता संख्या नई 568 पुरानी 328 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का कोई हक एवं अधिकार नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 10 अनुसार –

"जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया – जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे, नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुनायेगा या वाद के संबध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जायेगी।"

अतः प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देबारी पटवार हल्का देबारी की आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 किता 3 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सुरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(ए. साई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. मुकद्मा 22/2022 सन 2022 सीगह वाद (1)श्री उंकार पिता नवला वागरिया, उम्र वयस्क, (2)श्री नाश्यण पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क, (3)श्री भुरा पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क, (4)श्री मोहन पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क, (5)श्री लालिया पुत्र मानिया वागरिया, उम्र वयस्क, सर्वनिवासीयान– खोखराफला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1)श्री विक्रम सिंह पिता नाहर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी नोहरा, देबारी, उदयपुर (राज.) (2)श्री कमलेन्द्र सिंह पिता नाहर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी नोहरा, देबारी, उदयपुर, (राज.) (3)श्री दुदु सिंह पिता उम्मेद सिंह, उम्र वयस्क, निवासी मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (4)श्री केसु उर्फ खुमा पिता अमरा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, (राज.) (5)श्री करण पिता केसु उर्फ खुमा उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (6)श्री दुदा पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (7)श्री अर्जुन पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, (राज.) (8)श्री गेरू पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (9)श्री लिलिया पिता खुमा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (10)श्री धन्ना पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (11)श्रीमती प्रतापी पत्नी श्री पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (12)श्री सुरेश पिता लखा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (13)श्रीमती हंसली पत्नी लखा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री संजय सैन अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देबारी पटवार हल्का देबारी की आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 किता 3 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....**X**..... रुपये की राशि .....**X**.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....**X**..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....**X**..... .....द्वारा ..... **X** .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....**24**..... माह .....**03**..... सन् .....**2026**.....को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश.....

पद **उपखण्ड अधिकारी**
गिर्वा, उदयपुर